Annexure-XVI

उत्तर प्रदेश सरकार
शिक्षा अनुभाग-10
संख्या शिक्षा(10)/8651/15-75(85)/64
लखनऊ, दिनांक 23 नवम्बर, 1973

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973(राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 1973), (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल 1 दिसम्बर, 1973 को ऐसा दिनांक नियत करते हैं जब से अधिनियम की अनुसूची में क्रमशः निर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए नैनीताल में कुमायूं विश्वविद्यालय और श्रीनगर (जिला गढ़वाल) में गढ़वाल विश्वविद्यालय स्थापित किया जायगा ।

2- उक्त धारा 4 की उपधारा (5) तथा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और तदर्थ अन्य समस्त सम्बद्ध समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित निदेश भी देते हैं :-

(क) जब तक कि उक्त विश्वविद्यालयों के लिए अधिनियम की धारा 50 उपधारा (1) के अधीन प्रथम परिनियम, और धारा 52 की उपधारा (2) के अधीन प्रथम अध्यादेश न बना लिये जांय, तब तक आगरा विश्वविद्यालय के परिनियम/अध्यादेश तथा विनियम आवश्यक परिवर्तनों सहित और ऐसे परिवर्द्धनों के साथ जिन्हें राज्य सरकार समय-समय पर गजट में अधिसूचना द्वारा बनाये, और एतद्पश्चात् की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुए, उक्त प्रत्येक विश्वविद्यालय के कार्यकलापों को नियंत्रित करेंगे:

प्रतिबन्ध यह है कि जिला देहरादून में स्थित महाविद्यालयों के संबंध में, मेरठ विश्वविद्यालय के परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम आवश्यक परिवर्तनों सहित, ऐसे परिवर्द्धनों के साथ और यथाउपर्युक्त के अधीन रहते हुए, उक्त अवधि के लिए गढ़वाल विश्वविद्यालय के कार्यकलापों को नियंत्रित करेंगे,

(ख) जब तक कि अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किसी ऐसे विश्वविद्यालय की कार्य परिषद, सभा तथा विद्या परिषद गठित न हो जाय तब तक उक्त प्राधिकारियों द्वारा अधिनियम के अधीन प्रयोक्तव्य अथवा निर्वहनीय शक्तियों, कर्तव्यों और कृत्यों का प्रयोग तथा निर्वहन उक्त प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए गठित किये जाने वाले विद्या योजना बोर्ड द्वारा किया जायगा जिसमें विश्वविद्यालय के कुलपति, जो उसके

कृ०प०उ०

अध्यक्ष होंगे, और उच्च शैक्षिक प्राधिकारी के बारह से अनधिक अन्य व्यक्ति होंगे जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात् कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे, और उक्त बोर्ड राज्य सरकार तथा कुलाधिपति को विश्वविद्यालय के नियोजन तथा विकास के संबंध में सामान्यतः सलाह भी देगा,

(ग) उक्त किसी विश्वविद्यालय की अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में स्थित किसी अन्य महाविद्यालय के प्रत्येक ऐसे छात्र को, जो विश्वविद्यालय की स्थापना के तत्काल पूर्व आगरा विश्वविद्यालय अथवा मेरठ विश्वविद्यालय की किसी उपाधि के लिए अध्ययन कर रहा था अथवा किसी परीक्षा में बैठने के लिए पात्र था उसी उपाधि के लिए अपना पाठ्य-क्रम पूरा करने की अनुज्ञा दी जायगी, और ऐसे छात्र के सशिक्षण तथा परीक्षा के लिए आवश्यक प्रबन्ध, यथास्थिति, आगरा विश्वविद्यालय या मेरठ विश्वविद्यालय द्वारा किया जायगा जो ऐसी परीक्षा के परिणाम घोषित करेंगे, और तदुपरान्त यथास्थिति, कुमायूँ विश्वविद्यालय या गढ़वा विश्वविद्यालय ऐसी घोषणा के आधार पर अपनी उपाधियां प्रदान करने के लिए सक्षम होगा,

(घ) जब तक कि अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) अथवा उपधारा (5) के अधीन कुलपति की नियुक्ति न हो जाय, कुलाधिपति किसी उपयुक्त व्यक्ति को छः मास से अनधिक अवधि के लिए जिसे वह निर्दिष्ट करें, कुलपति के पद पर नियुक्त कर सकते हैं :

परंतुबन्ध यह है कि कुलाधिपति इस खण्ड के अधीन कुलपति के पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति की अवधि को समय-समय पर बढ़ा सकते हैं, किन्तु ऐसी नियुक्ति की अवधि (जिसके अन्तर्गत मूल अवधि में निर्धारित अवधि भी है) एक वर्ष से अधिक न हो,

(ङ) जब तक अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कुल सचिव, उपकुलसचिव अथवा सहायक कुल सचिव नियुक्त न किया जाय तब तक के लिए कुलाधिपति कुल सचिव के पद पर और कुलपति, उप कुल सचिव अथवा सहायक कुल सचिव के पद पर अधिकारी नियुक्त करके उसे भर सकते हैं,

कृपया०

(च) जब तक कि उक्त किसी विश्वविद्यालय में वित्त अधिकारी नियुक्त न किया जाय, अधिनियम के अधीन वित्त अधिकारी के कृत्यों का निर्वहन कुल सचिव द्वारा किया जायगा,

(छ) आगरा तथा मेरठ विश्वविद्यालयों के परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों में ऐसे संशोधन करने के लिए, जो इस अधिसूचना के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक हों, और धारा 4 की उपधारा (6) के खण्ड (क) (ख) तथा (ग) में विनिर्दिष्ट अन्य विषयों के संबंध में, राज्य सरकार समय-समय पर गजट में अधिसूचना द्वारा अग्रेतर उपबन्ध बना सकती है।

आज्ञा से,

रमेश चन्द्र पन्त
विशेष सचिव

संख्या शि0 (10) / 8651(1)/15-75(85)/64

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- संयुक्त अधीक्षक, राजकीय प्रेस, ऐशबाग लखनऊ को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति के साथ इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इसे उत्तर प्रदेश के असाधारण गजट दिनांक नवम्बर 23, 1973 में प्रकाशित किया जाय तथा गजट की 1000 प्रतियाँ अनुभाग अधिकारी शिक्षा(10) अनुभाग को तुरन्त भेजने का कष्ट करें।

2- श्री पी0डी0 भट्ट, विशेष कार्य अधिकारी, गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्री नगर (जिला गढ़वाल)/ श्री गोपाल दत्त पान्डे, विशेष कार्य अधिकारी, कुमायूं विश्वविद्यालय, नैनीताल।

3- कुलाधिपति के सचिव

4- शिक्षा (11) अनुभाग

5- विधायिका विभाग, (वेटिंग सेक्शन)

6- भाषा विभाग,

7- रजिस्ट्रार, लखनऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर, आगरा, मेरठ तथा कानपुर विश्वविद्यालय

8- शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)

आज्ञा से

(ह0) [illegible]

(एच0एस0 सोढ़ी)
अनु सचिव।

Scanned by CamScanner